न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी– सृष्टि जैन (R.A.S)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
39 / 26	24 / 04 / 2026	24 / 04 / 2026

// उनवान //

1. प्रेम पत्नी सुण्डाराम जाति जाट निवासी रायपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।
2. प्रेम पत्नी रगवीर जाति जाट निवासी रायपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

:– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, खैरथल–तिजारा।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट।

निर्णय

दिनांक :– 24.04.2026

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी खसरा न0 1542 रकबा 0.01 है0, 1543 रकबा 0.01 है0, 1544 रकबा 0.01 है0, 1545 रकबा 0.01 है0 1546 रकबा 0.01 है0, 1547 रकबा 0.01 है0, 1548 रकबा 0.01 है0, 1549 रकबा 0.01 है0 1550 रकबा 4.35 है0 किता 9 रकबा 4.43 हैक्टेयर वाके ग्राम पेहल में स्थित है यह है कि आराजी ख0न0 1542 रकबा 0.01 है0, 1543 रकबा 0.01 है0, 1544 रकबा 0.01 है0, 1545 रकबा 0.01 है0 1546 रकबा 0.01 है0, 1547 रकबा 0.01 है0, 1548 रकबा 0.01 है0, 1549 रकबा 0.01 है0 1550 रकबा 4.35 है0 किता 9 रकबा 4.43 हैक्टेयर के गत खसरा नम्बर 758/1396 से पैमूद हुए है। यह है कि मिन प्रार्थीया ने सम्वत 2059–62 में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 15.09.2004 को सुबेसिंह पुत्र प्रभाती से ख़रीद किया है। यह है कि सम्वत 2067–70 में प्रेम पत्नि रगबीर व प्रेम पत्नी सुण्डाराम का हिस्सा 1/24 भाग दर्ज किया गया जबकी शुद्धीपत्र संख्या 13 से उक्त जमाबंदी में प्रेम पत्नी रगवीर व प्रेम पत्नी सुण्डाराम का हिस्सा 1/12 भाग शुद्ध किया जाना स्वीकृत हुआ थां। परन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने उक्त शुद्धीपत्र का अमल दरामद हाल जमाबंदी में नहीं किया। यह है कि जमाबन्दी आधार वर्ष सम्वत 2072 में भी प्रेम पत्नी रगवीर व प्रेम पित्नी सुण्डाराम का हिस्सा 1/24 हिस्सा भाग के बजाय 1/12 शुद्धीपत्र सं0 13 से शुद्ध होकर शुद्धीपत्र का नोट आधार वर्ष की जमाबंदी में लगाया गया था। यह है कि राजस्व कर्मचारीयों ने दौराने सैटलमेंट व सेग्रीगेशन शुद्धीपत्र सं0 13 के नोट का अमल दरामद नहीं किया, जिससे प्रेम पत्नी रघुवीर व प्रेम पत्नि सुण्डाराम का हिस्सा हाल जमाबंदी में 1/24 भाग दर्ज कर दिया जो गलत है काबिले दुरूस्त है अतः प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन है कि हाल जमावंदी में प्रेम पत्नी रगवीर हिस्सा 1/24 एवं प्रेम पत्नी सुण्डाराम का हिस्सा 1/24 भाग दुरूस्त किया जाने बाबत निवेदन रहा है।

चुंकि प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर के पत्रांक भू.अ./2025/294 दिनांक 08.01.2025 से रिपोर्ट मय दस्तावेज एवं मय अभिषंशा संलग्न पत्रावली है प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं मुताबिक रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार प्रकरण में हाल खसरा नम्बर 1542 रकवा 0.01 है0, 1543 रकवा 0.01 है0, 1544 रकवा 0.01 है0, 1545 रकवा 0.01 है0 1546 रकवा 0.01 है0, 1547 रकवा 0.01 है0, 1548 रकवा 0.01 है0, 1549 रकवा 0.01 हैव0 1550 रकवा 4.35 है0 किता 9 रकवा 4.43 हैक्टेयर वाके ग्राम पेहल में प्रेम पत्नी रगवीर हिस्सा 1/48 एवं प्रेम पत्नी सुण्डाराम हिस्सा 1/48 दर्ज है जमाबंदी सम्वत 2067–70 में शुद्धीपत्र संख्या 13 हिस्सा शुद्ध करके प्रार्थीगण का हिस्सा 1/12 दर्ज कर दिया गया। सम्वत 2072 में भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण का हिस्सा 1/24 दर्ज कर दिया गया। प्राथीगण प्रेम पत्नी रगवीर हिस्सा 1/48 के बजाय हिस्सा 1/24 एवं प्रेम पत्नी सुण्डाराम हिस्सा 1/48 के बजाय 1/24 शुद्ध किया जाना उचित होगा।

प्रार्थना–पत्र के बाबत पत्रावली व रिपोर्ट तहसीलदार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन किये जाने पर एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 1542 रकबा 0.01 है0, 1543 रकबा 0.01 है0, 1544 रकबा 0.01 है0, 1545 रकबा 0.01 है0, 1546 रकबा 0.01 है0, 1547 रकबा 0.01 है0, 1548 रकबा 0.01 है0, 1549 रकबा 0.01 हैक0, 1550 रकबा 4.35 है0 कुल किता 9 रकबा 4.43 हैक्टेयर वाके ग्राम पेहल में **"प्रार्थीया प्रेम पत्नी सुण्डाराम हिस्सा 1/48 के स्थान पर हिस्सा 1/24 एवं प्रेम पत्नी रगवीर हिस्सा 1/48 के स्थान हिस्सा 1/24 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।"** जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्त निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **24.04.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
(खैरथल-तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर खैरथल-तिजारा